समाहरणालय, सिमडेगा।

(पंचायत शाखा)

ग्राम पंचायत सचिवालय के गठन से संबंधित अपील

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के द्वारा दिनांक 14.05.2016 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जारी आवश्यक सूचना के द्वारा प्रत्येक पंचायत में ग्राम पंचायत सचिवालय का गठन करने हेतु स्वयसेवकों का चयन किया जाना है। उक्त सूचना के विरुद्ध इस कार्यालय में अबतक कई पंचायतों से अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नही हुए है।

उक्त आलोक में आवेदन प्राप्ति की तिथि बढ़ाकर 27.05.2016 निर्धारित की जाती है। इस जिले के 18–35 वर्ष के युवक–युवती, जो कम से कम मैट्रिक पास हो, से अपील है कि निम्नलिखित प्रपत्र में दिनांक 27.05.2016 के अपराह्न 5.00 बजे तक अपने प्रखण्ड मुख्यालय में अथवा समाहरणालय, सिमडेगा स्थित जिला पंचायत शाखा में अपना आवेदन जमा करें। अभ्यर्थी को संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1603 दिनांक 20.05.2016 का अवलोकन किया जा सकता है, जो इस जिले के वेबसाईट (www.simdega.nic.in) में उपलब्ध है। आवेदन के साथ निम्नलिखित छः विषयों में से किन्ही तीन पर दस–दस पंक्तियों में अपने सुझाव दें।

1. आपके पंचायत क्षेत्र में किस प्रकार कृषि व जल संचय को प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसमें आप किस प्रकार योगदान दे सकते है ?
2. आपके गाँव में कौन–सी कुप्रथा/अंधविश्वास प्रचलित है, उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इन्हे दूर करने में आप व्यक्तिगत रुप से किस प्रकार योगदान दे सकते हैं ?
3. गाँव में कुपोषण के क्या मुख्य कारण है। इन्हें दूर करने की सरकार की योजना में आप किस प्रकार सहयोग कर सकते है ?
4. गाँव में साक्षरता एवं शिक्षा को बढावा देने के संबंध में आपके क्या विचार है। इसमे गाँव के युवक/युवतियो की क्या भूमिका होनी चाहिए ?
5. गाँव को स्वस्थ, सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए आपकी क्या सोच है ?
6. समरस गाँव, समता–ममतामूलक समाज की क्या परिकल्पना है। इसे बनाने के लिए आपकी क्या सोच है ?

ग्राम पंचायत के प्रबंधन हेतु पंचायत सचिवालय के लिए आवेदन पत्र (प्रारुप)

1. आवेदक का नाम :– .....
2. पिता/पति का नाम :– .....
3. लिंग :– .....
4. उम्र (01.05.2016 को, प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ) :– .....
5. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) :– .....
6. पता :– गाँव का नाम– .....
   पंचायत का नाम– .....
   पोस्ट– .....
   प्रखण्ड– .....
   जिला– सिमडेगा।
   पिन कोड– .....
7. मोबाईल संख्या :– .....
8. श्रेणी :– अनु०जाति ☐ अनु०जनजाति ☐ पिछड़ी जाति ☐ अतिपिछड़ी जाति ☐ सामान्य ☐

फोटो

घोषणा

उपरोक्त सूचनाए सही है एवं मै किसी भी अपराध के लिए दंडित नही हुआ हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक :– 255(ii)/पं0, सिमडेगा, दिनांक :– 23.05.2016

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1603 दिनांक 20.05.2016 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस जिले के वेबसाईट पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सॉफ्ट कॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि तीन हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अविलंब प्रकाशित करवाना सुनिश्चित किया जाय।

23/5/16

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
पंचायती राज

संकल्प

विषयः– पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रबंधन हेतु पंचायत सचिवालय के गठन के संबंध में ।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के फलस्वरूप राज्य में 4402 पंचायतों का गठन हो चुका है। प्रत्येक पंचायत में आबादी के अनुसार मुखिया के अतिरिक्त पंचायत कार्यकारिणी में 10 से 14 वार्ड सदस्य हैं । ये सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं । इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राधिकारी (Authority) के रूप में पंचायत सचिव पदस्थापित हैं। ये ही एक मात्र सरकारी सेवक हैं जो ग्राम पंचायत के सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं। 14वें वित्त आयोग की राशि पंचायतों को सीधे अन्तरित की गयी है तथा प्रत्येक पंचायत से ये अपेक्षा की गयी है कि वे अपने ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का खाका स्वयं तैयार करें ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों के प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायत सचिवालय के गठन की आवश्यकता महसूस की गई ।

सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवालय गठन का निर्णय लिया गया है ।

1. पंचायत सचिवालय का स्वरूप

"पंचायत सचिवालय" ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय पढ़े–लिखे युवक एवं युवतियों का एक समूह होगा, जो गाँव में काम करने का ईच्छुक होगें तथा ग्राम पंचायत विकास में ग्राम पंचायत को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । इसमें 4 सदस्य होंगे जो पंचायत सचिव के अधीन रहेंगे तथा मुखिया के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे। यह दल ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के प्रति अपने कार्यों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। पंचायत सचिवालय का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

क– इनमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

ख– राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों के पंचायतों में कम से कम एक सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय के होंगे।

ग– अन्य 02 सदस्य कोई भी हो सकते है।

घ– इन सदस्यों की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्त्ता मैट्रिक पास होगी।

Scanned by CamScanner

ङ.– इनकी न्यूनतम आयु 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी ।

च–अभ्यर्थी को संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य होगा।

2. प्रोत्साहन/सम्मान राशि

पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उन्हें कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि दी जायेगी, जिसका निर्धारण कार्य कराने वाला संबंधित विभाग करेगा ।

3. चयन प्रकिया

क. पंचायत सचिवालय के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपील के माध्यम से आवेदन् पत्र आमंत्रित किये जाएँगें । अखबारों में राज्य स्तर से अपील जारी की जायेंगी । आवेदन पत्र जिला स्तर पर ही समर्पित होंगे तथा जिला द्वारा पंचायतवार आवेदनों की छँटाई कर विहित प्रपत्र में सूचना तैयार की जायेगी। प्रत्येक उपायुक्त अपने स्तर से इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रखंड के लिए गठित समिति के माध्यम से चार के विरूद्ध आठ सुयोग्य नामों का एक पैनल तैयार करेंगे। राज्य स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा 04 नामों के विरूद्ध सहमति दिये जाने के पश्चात् संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा पंचायतवार पैनल प्रकाशित कर दिये जायेंगे तथा इसकी सूचना संबंधित पंचायतों को दे दी जायेगी। पैनल में उल्लिखित 04 सदस्य स्वयं सेवक के रूप में ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य स्तर पर समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

ख. आवेदक से व्यक्तिगत सूचनाओं के साथ–साथ उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र की भी माँग की जायेगी । आवेदकों के विचार निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषय पर दस–दस पंक्तियों में समर्पित करने होंगे :–

1. अपने पंचायत क्षेत्र में किस प्रकार कृषि एवं जल संचय को प्रोत्साहित किया जा सकता है एवं इसमें आप किस प्रकार योगदान कर सकते हैं ?
2. आपके गाँव में कौन–सी कुप्रथा/अंधविश्वास प्रचलित है एवं उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। उसे दूर करने में आप व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार योगदान कर सकते हैं ?
3. गाँव में कुपोषण के क्या मुख्य कारण हैं एवं इसे दूर करने की सरकार की योजना में आप किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं ?
4. गाँव में साक्षरता एवं शिक्षा को बढ़ाने के संबंध में क्या विचार है एवं इसमें गाँव के युवक/युवतियों की क्या भूमिका होनी चाहिए ?
5. गाँव को स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए आपकी क्या सोच है ?

Scanned by CamScanner

6. "समरस गाँव, समता–ममता मूलक समाज" की क्या परिकल्पना है एवं इसे बनाने के लिए आपकी क्या सोच है ।

4. पंचायत सचिवालय की भूमिका

क. सूचना प्रसारण

वर्तमान में पंचायत स्तर पर विकास से संबंधित कई योजनायें संचालित की जाती हैं। इनमें सभी की जानकारी ग्रामीणों को नहीं रहती है। पंचायत सचिवालय पंचायत स्तर पर चलने वाली सभी विकास कार्यकमों की जानकारी लोगों तक पहुँचाने में सहयोग करेंगी। उदाहरण के तौर पर कृषि विभाग की विभिन्न गतिविधियों जैसे उर्वरक एवं बीज वितरण, मेले का आयोजन, मनरेगा एवं 14वें वित्त आयोग के लिए स्वीकृत योजनाओं की जानकारी देना आदि शामिल होगा।

ख. ग्रामीणों को जागरूक करना

यह समूह टोला स्तरीय चर्चाओं, समुदाय आधारित संगठनों एवं लाभुक समितियों के साथ बैठ कर ग्रामीणों को विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यकमों में उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेगी ताकि अधिक–से–अधिक लोग विकास योजनाओं से जुड़ें एवं उसका लाभ उठा सके।

ग. ग्रामीणों को सहयोग देना

गाँवों में ऐसे वंचित लोग जो योजनाओं का लाभ लेने से अथवा योजनाओं की प्रकिया से जुड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें आवेदन देने तथा आवेदन प्राप्त कर सक्षम स्तर तक पहुँचाने एवं सक्षम स्तर से कार्य को निष्पादित कराकर उन तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करेंगे ।

घ. योजनाओं का डाटाबेस तैयार करना

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा मनरेगा/IAY/PMAYG/सामाजिक सुरक्षा/स्वास्थ्य/शिक्षा/पेयजल/कल्याण/ICDS आदि का कार्य ग्रामीण स्तर पर संचालित हो रहे हैं। इनमें शत–प्रतिशत लोग किसी भी योजना से नहीं जुड़ पाये हैं। हर योजना में कुछ न कुछ वंचित रह गये हैं। पंचायत सचिवालय के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि संचालित सभी योजनाओं की वह जानकारी उपलब्ध रखें तथा उसके आधार पर जो वंचित परिवार हैं उनका डाटाबेस तैयार करें ताकि वे डाटाबेस पंचायतों के साथ–साथ संबंधित विभागों को भी उपलब्ध करायेंगे ताकि इन पंचायत के लोगों को उन योजनाओं में सम्मिलित किया जा सके।

Scanned by CamScanner

ड. विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन

योजनायें जो गाँव स्तर पर संचालित होती हैं उनमें बहुत सारी कमियाँ हैं या तो वे समय पर प्रारंभ नहीं होती है यदि प्रारंभ भी हुई तो कुछ योजनाओं का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया जाता है । यदि निर्माण पूरा भी होता है तो गुणवत्ता युक्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में कियान्वयन की जाने वाली पूर्ण योजनाओं के संबंध में भी वे जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

च. ग्राम पंचायतों को वार्षिक कार्य योजना में सहायता

योजना बनाओ अभियान में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि इनके पास प्रत्येक घर का हर योजना से जुड़ा डाटाबेस उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर जमीनी स्तर पर सही योजना का चयन किया जा सकता है एवं वास्तविक रूप से योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है। अतएव यह समूह ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों को वार्षिक कार्य योजना बनाने में मदद करेगी।

5. पंचायत सचिवालय के गठन के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के तहत ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन हेतु गठित पंचायत प्लानिंग टीम को भंग करते हुए पंचायत सचिवालय को उनके स्थान पर पुनर्स्थापित (replace) किया जाएगा। इन्हें और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।

6. पंचायत सचिवालय गठन प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 17.05.2016 की बैठक में मद संख्या 22 में स्वीकृति प्राप्त हैं।

20/05/16

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)
झारखण्ड, रॉंची ।

ज्ञापांक:– 1स्था(मु0)–18/2016–1603–/, रॉंची, दिनांक :–20.5.16

प्रतिलिपि:– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त/सभा अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/05/16

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)
झारखण्ड, रॉंची ।

Scanned by CamScanner